

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर
पृथ्वीराज बनाम स्टेट

मुकद्मा नम्बर 358 / 2017 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामिल में जारी हु

10.07.2017 प्रार्थी पृथ्वीराज पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी 6 एफ. बड़ा कौनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी चक 5 पी बड़ी के खाता संख्या 61 में मेरा नाम "तोता पुत्र मोडाराम" है जबकि मेरा सही नाम पृथ्वीराज पुत्र मोडाराम है। अतः मेरा नाम बदलने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र मतदाता सूची राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति संलग्न की है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पटवारी हल्का कोनी से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली की गई रिपोर्ट के अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थी पृथ्वीराज व तोता एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया प्रकरण एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्धि किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने में कोई लिपिकिय त्रुटि की हो।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.07.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओडकी में मजमे आम सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर